न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

03 / 2024

1. सरस्वती पुत्री सुरजाराम पत्नी रामकुमार जाति जाट आयु 53 वर्ष हाल निवासी गीगोरानी तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
2. ललिता पुत्री तारावती पत्नी संदीप कुमार जाति जाट आयु 40 वर्ष हाल निवासी मायडखेड़ा तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
3. शिशूपाल पुत्र सुरजाराम जाति जाट आयु 60 वर्ष निवासी भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

वादी

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री योगेश कुमार शर्मा वादी
श्री राममूर्ति ताखर प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 15/1/25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 2 जी.जी.एम. के खाता संख्या 134 / 134 के मु0न0 67, 71, 97, 70 की कुल 6.8950है0 में वादी संख्या 1 का नाम सुरस्ती पुत्री सुरजाराम, वादी संख्या 2 का नाम सुनिता पुत्री तारावती दर्ज व वादी संख्या 3 का शिशपाल दर्ज है व चक नं0 1 जीजीएम के खाता संख्या 45 / 96 के मु0न0 53, 53 की कुल 3.0360है0, में वादी संख्या 1 का नाम सुरस्ती, वादी संख्या 2 का नाम सुनिता, वादी संख्या 3 का नाम शिशपाल दर्ज है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में वादीगण सं0 1 व 2 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है। वादी सं0 3 का नाम उपरोक्त दोनों खातों में शिशपल पुत्र सुरजाराम दर्ज है। जबकि वादी के सभी दस्तावेजात यथा आधार कार्ड ,राशन कार्ड व अन्य में सही नाम शिशूपाल पुत्र सुरजाराम दर्ज है। उपरोक्त खातों में नाम संवहन से गलत दर्ज होने के कारण वादी अपने हक अधिकारों का नियमित उपयोग [illegible] नहीं कर पा रहा है। अतः वादी अपना सही नाम शिशूपाल पुत्र सुरजाराम [illegible] दुरुस्त करवा पाने का कानूनी अधिकारीयह ही विनाय मुखास्मत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.02.07 11:43:10 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद तहसीलदार भादरा से रिपॉर्ट प्राप्त की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

साक्ष्य वादी में वादी शिशूपाल पुत्र सुरजाराम व वादी के भाई रामकुमार पुत्र सुरजाराम द्वारा साक्ष्य करवाये गये। जिसमें वर्तमान जमाबंदी के साथ साथ अन्य दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में वादी सं0 1 व 2 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर दिया है। लेकिन वादी सं0 3 का नाम राजस्व रिकार्ड में शिशूपाल पुत्र सुरजाराम की बजाए शिशपाल पुत्र सुरजाराम दर्ज हो गया है। तहसीलदार भादरा व नोहर से प्राप्त रिपॉर्ट में भी शिशूपाल पुत्र सुरजाराम नाम सही बताया गया है। वादी सं0 3 के सभी दस्तावेज में भी वादी का सही नाम शिशूपाल पुत्र सुरजाराम ही दर्ज है। अतः राजस्व रिकार्ड में वादी का सही नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने रोही मौजा चक 2 **जी.जी.एम.** के खाता संख्या 134/134 के मु0न0 67, 71, 97, 70 की कुल 6.8950है0 में वादी संख्या 1 का नाम सुरस्ती पुत्री सुरजाराम, वादी संख्या 2 का नाम सुनिता पुत्री तारावती दर्ज व वादी संख्या 3 का शिशपाल दर्ज है व चक नं0 1 **जीजीएम** के खाता संख्या 45/96 के मु0न0 53, 53 की कुल 3.0360है0 में दर्ज शिशपाल पुत्र सुरजाराम की जगह सही एवं वास्तविक नाम शिशूपाल पुत्र सुरजाराम नाम की घोषणा चाही है, प्रस्तुत दस्तावेजात एवं मुताबिक तहसीलदार रिपॉर्ट उक्त नाम की घोषणा की जाना उचित है। अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष डीक्री योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 **जी.जी.एम.** के खाता संख्या 134/134 के मु0न0 67, 71, 97, 70 की कुल 6.8950है0 में वादी संख्या 1 का नाम सुरस्ती पुत्री सुरजाराम, वादी संख्या 2 का नाम सुनिता पुत्री तारावती दर्ज व वादी संख्या 3 का शिशपाल दर्ज है व चक नं0 1 **जीजीएम** के खाता संख्या 45/96 के मु0न0 53, 53 की कुल 3.0360है0, में दर्ज शिशपाल पुत्र सुरजाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी सं0 3 का सही एवं वास्तविक नाम शिशूपाल पुत्र सुरजाराम नाम की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15/1/25 को ... लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.02.07 11:43:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा / जिला हनुमानगढ़

(कल्पित शिवरान) R.A.S
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

डिक्री

...ालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :— श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस

...0 — 03/2024

...:
1. सरस्वती पुत्री सुरजाराम पत्नी रामकुमार जाति जाट आयु 53 वर्ष हाल निवासी गीगोरानी तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
2. ललिता पुत्री तारावती पत्नी संदीप कुमार जाति जाट आयु 40 वर्ष हाल निवासी मायड़खेड़ा तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
3. शिशूपाल पुत्र सुरजाराम जाति जाट आयु 60 वर्ष निवासी भरवाना तहसील भादरा जिलां हनुमानगढ (राजस्थान)

वादी

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री योगेश शर्मा की उपरिथति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिकी किया जाता है तथा रोही मौजा चक 2 जी.जी.एम. के खाता संख्या 134/134 के मु0न0 67, 71, 97, 70 की कुल 6.8950है0 में वादी संख्या 1 का नाम सुरस्ती पुत्री सुरजाराम, वादी संख्या 2 का नाम सुनिता पुत्री तारावती दर्ज व वादी संख्या 3 का शिशपाल दर्ज है व चक नं0 1 जीजीएम के खाता संख्या 45/96 के मु0न0 53, 53 की कुल 3.0360है0, में दर्ज शिशपाल पुत्र सुरजाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी सं0 3 का सही एवं वास्तविक नाम शिशूपाल पुत्र सुरजाराम नाम की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/1/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.02.07 11:43:10 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़